पटना में दिनांक–10 नवम्बर, 2026 मंगलवार को अपराह्न 5:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

सूचना प्रावैधिकी विभाग

1. राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पारिस्थितिकी तंत्र, कौशल विकास एवं नवाचार को सुदृढ़ करने हेतु ग्लोबल फाइनेंस एण्ड टेक्नोलॉजी नेटवर्क (GFTN), सिंगापुर को बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम सं०–131 ज्ञ(त) के तहत नामांकन के आधार पर चयन तथा आर्यभट्ट दृष्टि (The Aryabhata Drishti) परियोजना के क्रियान्वयन हेतु कुल संशोधित राशि ₹190,32,00,000. 00 (एक सौ नब्बे करोड़ बत्तीस लाख) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

1. **स्वीकृत।**

आपदा प्रबंधन विभाग

2. 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2030–31 एवं अगले आदेश तक के लिए बिहार राज्य में 'राज्य आपदा रिस्पौंस कोष' (SDRF) के गठन एवं इसके संचालन की प्रक्रिया की स्वीकृति के संबंध में।

2. **स्वीकृत।**

आपदा प्रबंधन विभाग

3. 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2026–27 से 2030–31 एवं अगले आदेश तक के लिए बिहार राज्य को 'राज्य आपदा प्रशमन कोष' (SDMF) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि के उपयोग, निधि के संचालन, गठन तथा इसके प्रशासन की प्रक्रिया की स्वीकृति के संबंध में।

3. **स्वीकृत।**

उच्च शिक्षा विभाग

4. उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्राओं में नवाचार, उद्यमिता एवं स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहित करने तथा उनके नवाचारी विचारों को व्यवहारिक उद्यम में विकसित करने हतु ''बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज (Startup Challenge) योजना'' प्रारंभ करने, अधिकतम 2,100 छात्राओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष से लाभान्वित करने, योजना को चार वित्तीय वर्ष (2026–27 से 2029–30) तक लागू करने तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹88.20 करोड़ (अट्ठासी करोड़ बीस लाख मात्र) की प्रशासनिक स्वीकृति के घटनोत्तर अनुमोदन के संबंध में।

4. **स्वीकृत।**

ग्रामीण विकास विभाग

5. वित्तीय वर्ष 2026–27 में ग्रामीण विकास विभाग की मांग संख्या 42 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन हेतु केन्द्रांश मद में 450.1554 करोड़ (चार सौ पचास करोड़ पंद्रह लाख चौवन हजार) रूपये एवं राज्यांश मद में 949.4474 करोड़ (नौ सौ उनचास करोड़ चौवालीस लाख चौहत्तर हजार) रूपये अर्थात कुल 1399.6028 करोड़ (तेरह सौ निन्यानवे करोड़ साठ लाख अठाईस हजार) रूपये मात्र की राशि की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति के संबंध में। **5. स्वीकृत।**

गृह विभाग

(कारा)

6. राज्य की 59 काराओं में प्रिजन कॉलिंग सॉल्युशन (Prison Colling Solution) अंतर्गत 05 वर्षों के लिए OPEX मॉडल पर 159 कियोस्क का अधिष्ठापन एवं संचालन ₹8,85,20,107 (आठ करोड़ पचासी लाख बीस हजार एक सौ सात रूपये) मात्र की लागत पर नामांकन (Nomination) के आधार पर भारत संचार निगम लिमिटेड, बिहार परिमंडल (BSNL, Bihar Circle) के माध्यम से कराये जाने संबंधी स्कीम की स्वीकृति के संबंध में। **6. स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

7. उदेरास्थान सिंचाई परियोजना के महमुदा शाखा नहर का पुनर्स्थापन, महमुदा मुख्य नहर का विस्तारीकरण तथा भारथु शाखा नहर में एक अदद् फॉल का निर्माण कार्य, प्राक्कलित राशि ₹5359.06871 लाख (तिरपन करोड़ उनसठ लाख छः हजार आठ सौ इकहत्तर रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। **7. स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

8. बिहार भवन उपविधि, 2026 की स्वीकृति के संबंध में। **8. स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

9. हाजीपुर बस स्टैण्ड निर्माण हेतु मौजा–सेंदुआरी वासदेव उर्फ चपता, थाना नम्बर–89, थाना–हाजीपुर अन्तर्गत हाजीपुर महुआ मुख्य मार्ग के किनारे चिह्नित भूमि 9 एकड़ 73 डिसमिल के अधिग्रहण/क्रय/सतत लीज पर लेने और इसपर होने वाले अनुमानित व्यय की राशि ₹44,52,44,800/– रूपये (चवालीस करोड़ बावन लाख चवालीस हजार आठ सौ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। **9. स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

10. राज्य के नगर निकाय के नियमित कर्मियों को रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना (एम०ए०सी०पी०) का लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। **10. स्वीकृत।**

परिवहन विभाग

11. केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 के तहत 'बिहार अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2026' (The Bihar Inland Vessels Rules, 2026) की स्वीकृति के संबंध में। **11. स्वीकृत।**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

12. बिहार वानिकी महाविद्यालय एवं शोध संस्थान, मुंगेर के स्थायी स्थापना के तहत सृजित शैक्षणिक पद असिस्टेंट प्रोफेसर के वेतन स्तर को संशोधित करते हुए वेतन स्तर–10 निर्धारित किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। **12. स्वीकृत।**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

13. स्थानिक आयुक्त (Resident Commissioner), नई दिल्ली के कार्यालय में सम्पर्क कार्यालय खोलने एवं उक्त कार्यालय हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अन्तर्गत पूर्व से सृजित 01 सहायक वन संरक्षक, 01 वनपाल एवं 02 वनरक्षियों कुल 04 (चार) पदों को उक्त कार्यालय हेतु कर्णांकित करने की स्वीकृति के संबंध में। **13. स्वीकृत।**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

14. ईको–टूरिज्म एवं पार्क का विकास योजनान्तर्गत पूर्व में राज्य योजनान्तर्गत स्वीकृत 11 (ग्यारह) योजनाओं को जन–निजी भागीदारी (Public-Private Partnership (PPP) Mode) के अन्तर्गत संचालित कराने की सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में। **14. स्वीकृत।**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

15. वित्तीय वर्ष 2026–27 में राज्य क्षतिपूर्त्ति वनरोपण निधि अन्तर्गत राष्ट्रीय प्राधिकरण, कैम्पा, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा प्रदत्त ₹71.92 करोड़ (एकहत्तर करोड़ बानवे लाख रूपये) मात्र की स्वीकृति के अधीन रहते हुए स्वीकृत योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹71.92 करोड़ (एकहत्तर करोड़ बानवे लाख रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति के संबंध में। **15. स्वीकृत।**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

16. ईको टूरिज्म के समग्र विकास हेतु तैयार किये गये तीन प्रस्तावों को जन–निजी भागीदारी (Public Private Partnership-PPP) के माध्यम से कराये जाने की स्वीकृति के संबंध में। **16. स्वीकृत।**

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

17. ''नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना'' योजनान्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बासोपट्टी, मधुबनी की स्थापना कर वित्तीय वर्ष 2027–28 से 06 व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रारंभ करने एवं रूपये 246.16 लाख (रूपये दो करोड़ छियालीस लाख सोलह हजार मात्र) प्रति वर्ष राशि व्यय की स्वीकृति के संबंध में। **17. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

19. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत भू–अर्जन निदेशालय, जिला भू अर्जन कार्यालयों एवं भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकार कार्यालयों के पुनर्गठन हेतु भू–अर्जन निदेशालय अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के कुल–438 स्थायी पदों का प्रत्यर्पण एवं कुल–342 स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में। **19. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

20. वित्त विभाग के अन्तर्गत श्री ओम प्रकाश झा (संविदा पर कार्यरत), बजट सलाहकार द्वारा धारित 'बजट सलाहकार' के पद एवं उनकी संविदा अवधि 02 (दो) वर्षों के लिए विस्तारित करने की स्वीकृति के संबंध में। **20. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

21. सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनसंरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.07.2026 के प्रभाव से 60% के स्थान पर 63% महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान एवं तत्संबंधी संकल्प प्रारूप की स्वीकृति के संबंध में। **21. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

22. पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.07.2026 के प्रभाव से 483% के स्थान पर 497% महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान एवं तत्संबंधी संकल्प प्रारूप की स्वीकृति के संबंध में। **22. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

23. षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.07.2026 के प्रभाव से 262% के स्थान पर 269% महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान एवं तत्संबंधी संकल्प प्रारूप की स्वीकृति के संबंध में। **23. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

24. निर्वाचन कार्य के लिए प्रतिनियुक्त वाहनों के लंबित दायित्व सहित अन्य आवश्यक भुगतान हेतु संबंधित विभागों की मांग के अंतर्गत समेकित रूप से ₹2247,53,82,000/– (दो हजार दो सौ सैंतालीस करोड़ तिरेपन लाख बयासी हजार रूपये) बिहार आकस्मिकता निधि से उपबंधित किये जाने के संबंध में। **24. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

25. बिहार आयुष मिश्रक (आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होमियापैथी) संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2026 की स्वीकृति के संबंध में। **25. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

26. बिहार औषधि नियंत्रण संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति के संबंध में। **26. स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

27. मोकामा टाल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण कार्य के पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति (पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि–25457.38 लाख रूपये) (रू० दो सौ चौवन करोड़ संतावन लाख अड़तीस हजार मात्र) के संबंध में। **27. स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

28. राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, रूड़की के साथ एम०ओ०यू० के माध्यम से गंगा नदी का चौसा से मनिहारी तक फ्लड प्लेन जोन डिलिनिएशन अध्ययन तथा स्टेट वाटर रिफॉर्म्स फ्रेमवर्क (एस०डब्ल्यू०आरएफ) के अंतर्गत बिहार स्टेट वाटर इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (बी–एस॰डब्ल्यू॰आई॰सी॰) की स्थापना, संचालन एवं अनुरक्षण हेतु परामर्शी सेवाएँ प्राप्त करने हेतु कुल राशि ₹9,82,48,242.00 (नौ करोड़ बयासी लाख अड़तालीस हजार दासे सौ बयालीस रूपये) मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति। **28. स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

29. बिहार नहर अनुरक्षण नीति, 2026 की स्वीकृति। **29. स्वीकृत।**

उच्च शिक्षा विभग

30. उच्च शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में छात्राओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ''मुख्यमंत्री बालिका पीएच०डी० फेलोशिप योजना'' प्रारंभ करने, योजना को चार वित्तीय वर्ष (2026–27 से 2029–30) तक लागू करने तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु ₹126.00 करोड़ (एक सौ छब्बीस करोड़ रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। **30. स्वीकृत।**

युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग

31. ''प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्पलॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड आई०टी०आई० (पी०एम०सेतु)'' योजनान्तर्गत पाँच जिलों यथा रोहतास, मुंगेर, पटना पूर्णियाँ एवं मधुबनी के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के सहयोग से CIIIT (Centre For Invention, Innovation, Incubation & Training) स्थापित करने में कुल रूपये 11,74,81,30,000/– (ग्यारह सौ चौहत्तर करोड़ इक्यासी लाख तीस हजार) मात्र व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

31. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

32. जन–निजी–भागीदारी (पी०पी०पी०) अंतर्गत डी०बी०एफ० ओ०टी० (डिजाईन बिल्ड फाईनेन्स ऑपरेट एण्ड ट्रान्सफर) पद्धति पर रा०उ०पथ० सं०–31 में बख्तियारपुर से रा०उ०पथ सं०–28 में ताजपुर को जोड़ने वाली गंगा नदी पर निर्माणाधीन 4–लेन पुल एवं 4–लेन पहुँच पथ (पुल की लम्बाई 5.52 कि०मी० एवं पथ की लम्बाई 45.40 कि०मी०) के लिए सिविल कार्यों हेतु कंसेशनायर द्वारा याचित एवं इंडिपेन्डेंट इंजिनिश्यर द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित राशि रू० 3207.71 करोड़, चेन्ज ऑफ स्कोप मद में पुनरीक्षित राशि रू० 207.25 करोड, चेन्ज इन लॉ मद में पुनरीक्षित राशि रू० 378.00 करोड़, भू–अर्जन मद में पुनरीक्षित राशि रू० 605.85 करोड़ तथा अन्य मदों में कुल पुनरीक्षित राशि रू० 173.72 करोड़ सहित कुल राशि रू० 4572.53 करोड़ (चार हजार पाँच सौ बहत्तर करोड़ तिरेपन लाख) मात्र के अनुमानित व्यय पर तृतीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं परियोजना को भौतिक रूप से पूर्ण करने हेतु कंसेशनायर को राज्य सरकार द्वारा लोन के रूप में वर्तमान किस्त की राशि रू० 263.58 करोड़ सहित कुल पुनरीक्षित राशि रू० 1834.305 करोड़ प्रदान करने के संबंध में।

32. स्वीकृत।